निर्वाचन तत्काल
कैम्प बैग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

मि.स. 576/3/वीवीपीएटी/2015/एसडीआर.खण्ड–। दिनांक 19 जनवरी, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विषयः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का साधारण निर्वाचन –वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) सहित इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग– तत्संबंधी ।

महोदय,

आयोग के दिनांक 16 जनवरी, 2015 के पत्र संख्या 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर–खंड–। के अनुक्रम में मुझे आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2015 के निदेश संख्या 576/3/वीवीपीएटी/2015/एसडीआर–खण्ड–। को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 38–दिल्ली कैन्ट एवं 40–नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु उक्त निर्वाचन क्षेत्रों मे प्रयुक्त होने वाली सभी वोटिंग मशीनों के साथ ड्राप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगाा । इस निदेश को तत्काल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को इसकी सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु अग्रेषित की जाए ।

2. उपरोक्त लिखित निदेश को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों के संज्ञान में लाया जाए ।

3. 38–दिल्ली कैन्ट एवं 40–नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी के उपयोग के निर्णय का व्यापक प्रचार किया जाए ।

4. कृपया पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली –110001

दिनांक : 19 जनवरी, 2015

निदेश

संख्या 576/3/वी.वी.पी.ए.टी/2015/एस.डी.आर–खण्ड–I :– यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क में यह उपबधित है कि मतदान मशीनों के द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से मत दिया जाए तथा उसे रिकॉर्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनाई जाएं ; और

2. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 49क के परंतुक के अनुसार ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में या उनके हिस्सों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग निदेश दे,ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएं, भी वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु वोटिंग मशीन से संलग्न किए जाएगें ; और

3. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी दिनांक 16 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर–खण्ड–I द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में पहले ही विनिर्दिष्ट कर दिया है जिनमें वर्तमान साधारण निर्वाचनों के लिए मतदान में वोटो का दिया जाना और रिकॉर्ड किया जाना वोटिंग मशीनों के जरिए किया जाएगा ;

4. अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उक्त परंतुक के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 38–दिल्ली कैन्ट एवं 40–नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्देशित करता है जिनमें विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों को देने और उनकी रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वोटिंग मशीन के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगा ।

(ii)भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बैंगलोर एवं इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तैयार किये ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर के डिजाइन को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने और उसकी रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा ।

आदेश से

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)
सचिव

Election Urgent
Camp Bag

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110 001

No. 576/3/VVPAT/2015/SDR-Vol.I Dated: 19th January, 2015

To,

The Chief Electoral Officer,
NCT of Delhi

Subject: General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi – Use of EVMs with Voter Verifiable Paper Audit Trail System (VVPAT)-reg.

Sir,

In continuation of the Commission's letter no. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I dated 16th January, 2015. I am directed to forward herewith the Commission's Direction bearing No. 576/3/VVPAT/2015/SDR-Vol.I dated 19th January, 2015 specifying 38-Delhi Cantt and 40-New Delhi Assembly Constituencies of NCT of Delhi as the Assembly Constituencies, where a printer with a drop box shall be attached to all voting machines being used in the said Constituencies for printing paper trail of the votes. The Direction may be published in the official Gazette of the NCT of Delhi immediately and two copies of the Gazette may be forwarded to the Commission for its information and record.

2. The above mentioned instruction may be brought to the notice of the Returning Officers of the Constituencies concerned for further necessary action.

3. The decision to use VVPAT in the 38-Delhi Cantt. and 40-New Delhi Assembly Constituencies may be given wide publicity.

4. Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(N.T. Bhutia)
Under Secretary

TO BE PUBLISHED IN THE NCT
OF DELHI GOVERNMENT GAZETTE
IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 19th January, 2015

DIRECTION

No. 576/3/VVPAT/2015/SDR-Vol.I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to a voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission of India has, vide its notification No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I dated 16th January, 2015, already specified under the said section 61A of the Representation of the People Act, 1951, all the Assembly Constituencies of NCT of Delhi as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of voting machines at the poll to be taken for the current general election;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the abovementioned proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby–

(i) specifies 38-Delhi Cantt and 40-New Delhi Assembly Constituencies of NCT of Delhi as the Constituencies in which a printer with a drop box shall be attached to every voting machine to be used for the giving and recording of votes at the current general election to the NCT of Delhi Legislative Assembly;

(ii) approves the design of the printer with the drop box as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, as the design for the printer which shall be attached to the said voting machines to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies.

By Order,

(ANUJ JAIPURIAR)
SECRETARY